शोध मंथन Vol. XVI No.I Jan.- Mar. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन के सतत् विकास के लिए एक मॉडल के रूप में होमस्टे

प्राप्तिः 25.02.2025
स्वीकृतः 20.03.2025

10

हरीश राम
शोधार्थी
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
ईमेलःharishhitaishi1@gmail.com

डॉ0 इला बिष्ट
शोध निर्देशिका
असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय भिक्यासैंण
अल्मोड़ा।

सारांश

उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटक स्थलों के लिए अग्रणी राज्य है। यहाँ पर देष–विदेष से पर्यटक आते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों एवं गृह आवास (होम–स्टे) का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए एक मॉडल के रूप में टिकाऊ गृह आवास (होम–स्टे) को बढ़ावा देने में पर्यटन विभाग द्वारा चयनित जनपदों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द

होमस्टे, पर्यटन, पलायन, सैलानियों, बुनियादी आवश्यकता।

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड का अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए विश्व के पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, अनेक विविधताओं को समेटे लोक संस्कृति पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है। राज्य के आर्थिक विकास में मजबूती देने में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में होमस्टे को बढ़ावा देने के साथ ही सड़क रेल और एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए टिकाऊ होमस्टे एक मॉडल के रूप में गाँवों को जोड़ने की एक पहल है। उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में होमस्टे, एक ऐसे स्तर पर पहुँचने की आवश्यकता है जिससे गाँव–गाँव में आम व्यक्ति लाभान्वित हो सके और चारों तरफ पर्यटन का जाल बिछाया जा सके। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर उत्तराखण्ड के गाँव को पर्यटन से जोड़ने के साथ ही आजीविका के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से चल रही होमस्टे योजना को सरकार की एक अच्छी पहल माना जा सकता है। अब तक 3685 होमस्टे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में पंजीकृत हो चुके हैं। जिनका सुविधाओं के आधार पर श्रेणीकरण भी किया जा रहा है। इस पहल से चार धाम यात्रा मार्ग के साथ ही विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएँ जुटी हैं और साथ ही रोजगार के अवसर भी सर्षजित हुए हैं। कोविड–19 महामारी के समय में टिहरी, उत्तरकाशी समेत अन्य स्थानों पर स्थित कुछ होमस्टे तो वर्क स्टेशन के रूप में उभर कर सामने आए हैं। देश के

विभिन्न राज्यों के पर्यटकों ने सिर्फ होमस्टे किया बल्कि ऑनलाइन कार्य संपादित करते हुए यहां के खान–पान, प्रकृति के नजारों का आनंद भी उठाया है। यदि सैलानियों को यहाँ के पारस्परिक स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे तो उत्तराखण्ड के पहाड़ी व्यंजनों से पर्यटक परिचित होंगे, जो निश्चित रूप से एक बेहतरीन पहल है और बदलती परिस्थितियों की आवश्यकता भी है। होमस्टे एक ऐसी मुहिम है जिससे गाँव में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, जो व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए स्वाभिमान के साथ जीने का एक अवसर भी प्रदान करता है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास में होमस्टे योजना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिससे गाँव के आम व्यक्ति होमस्टे से प्रेरित होंगे और गाँवों में पलायन को भी रोकने में मदद मिलेगी।

होमस्टे शब्द का आशय

होमस्टे एक प्रकार का घर है जहाँ वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, वहाँ पर आपको स्थानीय लोगों की तरह ही सामान्य जीवन व्यतीत करना होता है। वहाँ पर आपको वही पानी पीना होगा, जो वहाँ के स्थानीय लोग पीते हैं। होमस्टे में 24 घंटे गर्म पानी की सुविधा नहीं होती। होम स्टे में एक सीमित मात्रा में ही आपको पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। होमस्टे में आपको वही भोजन करना पड़ेगा, जो वहाँ की मेनू में है। भोजन करने के लिए डाइनिंग हॉल में ही खाना होगा। कमरे तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था होम स्टे में नहीं होती। होमस्टे में लग्जरी कमरों की कोई सुविधा नहीं होती। यहाँ सभी कमरे एक जैसे ही होते हैं और कई बार तो आपको अपना कमरा दूसरों से शेयर भी करना पड़ता है और अपने सामान का स्वयं ही ध्यान रखना होता है। होमस्टे अक्सर पहाड़ी जगह पर होते हैं या फिर ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ होटल ना के बराबर होते हैं। होम स्टे अतिथि और आवास का एक रूप है, जिसमें पर्यटक उसे क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति के साथ निवास साझा करते हैं, जहाँ पर यात्रा कर रहे होते हैं। जो विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए घर से बाहर विश्वविद्यालयों, कैंपस में रहते हैं; उनके लिए होमस्टे एक लोकप्रिय विकल्प है। विदेशों में अध्यनरत छात्र–छात्राओं के लिए भी होमस्टे एक आवासीय विकल्प है, जो आपकी जरूरतों, प्राथमिकताओं और व्यक्तित्व के अनुकूल हो। परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव पर्यटन के क्षेत्र पर भी पड़ा है। पहले लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के घर जाया करते थे। उसके बाद धीरे–धीरे समाज में बदलाव हुआ। लोग होटल बुक किया करते थे लेकिन आज उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र में होमस्टे का प्रचलन हो गया है। वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों में होमस्टे का चलन हो गया है जो घर से दूर एक प्रकार का घर है। जहाँ आप होटल की तरह ही रह सकते हैं बल्कि यहाँ चाय, कॉफी, नाश्ता खुद ही बनाना होता है। होमस्टे में मुख्य रूप से किचन के साथ में आपको कुछ सामान भी दिया जाएगा ताकि आप घर से दूर रहकर भी घर जैसा अनुभव कर सकते हैं। जो लोग होटल के खाने से परहेज करते हैं उनके लिए उत्तराखण्ड में होमस्टे एक बेहतर विकल्प है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अध्ययन करना।
2. उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन विकास में टिकाऊ गृह आवास (होमस्टे) की भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध आलेख में वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए एक मॉडल के रूप में टिकाऊ गृह आवास (होमस्टे) की भूमिका और वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया गया है। शोध आलेख में द्वितीय स्रोतों के माध्यम से जिसमें मुख्यतः सरकारी वेबसाइटों, शोध पत्र पत्रिकाओं, दस्तावेजों तथा विभिन्न लेखकों के शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है।

उत्तराखण्ड में होमस्टे योजना की पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख राज्य है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल औसतन 85 प्रतिशत भाग पहाड़ों का है। रोजगार के सीमित संसाधन होने के कारण उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जो पलायन हुआ है, वह उत्तराखण्ड के लिए एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्र से तेजी से हो रहे पलायन के कारण उत्तराखण्ड में आर्थिक असमानता, कृषि उत्पादकता में गिरावट, प्रति व्यक्ति आय में कमी, शिक्षा का निम्न स्तर इत्यादि चुनौतियाँ प्रकट हो रही है। गाँवों में लगातार हो रहे पलायन की समस्या को रोकने, उत्तराखण्ड में रोजगार सृजित करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सन 2015 में दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा इटली की तर्ज पर खाली गाँव के पारंपरिक घरों को पर्यटन की संभावना के रूप में तलाश में, पलायन हो चुके गाँव को पुनर्जीवित व विकसित करने की योजना पर काम कर के होमस्टे के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।

होमस्टे योजना का उद्देश्य

1. स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से बेहतर आर्थिक विकल्प उपलब्ध कराना।
2. पर्यटकों को राज्य के व्यंजन, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पारंपरिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना।
3. स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन रोकना।
4. राज्य में 10,000 होम स्टे विकसित करना।

होमस्टे योजना की शर्तें

1. भवन में मकान मालिक अपने परिवार के साथ रह रहा हो।
2. अपने भवन का होम स्टे योजना के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य।
3. पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था की जा सकेगी।
4. यह योजना नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू।
5. पारंपरिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता।

उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन विकास में होमस्टे व्यवस्था के लाभ

उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन विकास में होम–स्टे व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ है –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
2. सैलानियों के लिए आवास की उपलब्धता।
3. स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
4. ग्रामीण एवं स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

5. पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन पर पर रोक लगेगी।
6. उत्तराखण्ड के वीरान हुए गाँव फिर से आबाद होंगे।
7. उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर, विरासत एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा।

उत्तराखण्ड में होमस्टे व्यवस्था के लिए सरकारी योजनाएं

1) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनाः उत्तराखण्ड में सर्वप्रथम स्वरोजगार योजना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को शुरू हुई। जिसकी शुरुआत उत्तराखण्ड में पर्यटन को रोजगार राजस्व सृजन करने के स्रोत के रूप में विकसित करने, यहाँ के स्थानीय निवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई थी। इस योजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों मुख्यतः युवाओं के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड में सर्वप्रथम स्वरोजगार योजना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना का आरंभ किया गया। इस योजना में बस/टैक्सी परिवहन सुविधाओं का विकास, मोटर गैराज वर्कशॉप निर्माण, फास्ट फूड सेंटर्स की स्थापना, साधना कुटीर/ योग ध्यान केन्द्रों की स्थापना, आवासीय सुविधाओं की स्थापना, स्थानिक प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना, साहसिक क्रियाकलापों हेतु उपकरणों का क्रय, पी.सी.ओ. सुविधा युक्त आधुनिक पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना तथा क्षेत्र विशेष के आकर्षण एवं विशेषताओं के अनुरूप पर्यटन विकास पर कार्य किया जाता है।

राजकीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर जारी ब्याज दरों पर ब्याज देता है तथा लाभार्थी को यह ऋण प्रस्तावित योजना की आर्थिक परिपुष्टता संबन्धित बैंक द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत के 12.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि उद्यमी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में लगाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में पूंजी संकर्म का 33 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रूपये तथा वाहन मद या मैदानी क्षेत्रों में गैर वाहन तथा वहाँ के मद के अंतर्गत 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये की अनुदान धनराशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

2) दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजनाः उत्तराखण्ड में सैलानियों को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के साथ ही स्थानीय लोगों की खुशहाली हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सन 2015 में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना शुरू की गई। इस योजना के द्वारा स्थानीय लोग अपने निवास स्थान को पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल के रूप में प्रयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।

योजना हेतु पात्रता की शर्तें

इस योजना से लाभान्वित होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं–

1. उत्तराखण्ड के मूल/स्थाई निवासी जो कि परिवार सहित भवन में निवास करता हो।
2. जिनका भवन नगर निगम की सीमाओं के बाहर हो।
3. पर्यटकों के लिए एक या अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की गई हो।

योजना के अंतर्गत सुविधाएं

1. पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत होमस्टे के लिए प्रथक से पोर्टल/वेबसाइट एप विकसित किया जाएगा जिसमें होम स्टे से संबंधित समस्त जानकारियां विद्यमान होगी।
2. होमस्टे मालिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन वेबसाइट मार्केटिंग की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाएगी।
3. होमस्टे की फेडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा होमस्टे के प्रचार प्रसार हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में निशुल्क प्रतिभाग किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
4. पर्यटकों की सुविधा हेतु गृह आवास के संबंध में फीडबैक की व्यवस्था होगी, जिसमें किसी गृह आवास के विषय में पर्यटकों को उसके स्तर की जानकारी के साथ होमस्टे मालिकों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।
5. होमस्टे संचालकों को समय–समय पर अतिथि सत्कार गतिविधियों के संचालन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी।
6. होमस्टे को स्थापित करने घरों का नवीनीकरण करने हेतु पात्र आवेदकों को बैंक से ऋण एवं राजकीय सहायता प्रदान की जाएगी।

दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना 2015 के अंतर्गत वित्तीय सहायता

1. मैदानी जनपदों हेतु लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 7.50 लाख रूपये की सहायता।
2. पाँच साल हेतु अधिकतम रु० 1 लाख रूपये/वर्ष की ब्याज सहायता।
3. पर्वतीय जनपद हेतु लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम रु० 10 लाख रूपये सहायता।
4. पाँच साल हेतु अधिकतम 1.50 लाख रूपये/वर्ष की ब्याज सहायता।

सब्सिडी और सहायता

1. पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सरकार ऋण चुकौती के पहले पाँच वर्षों के लिये 33 प्रतिशत या 10 लाख रुपये (जो भी कम हो) की पूँजी सब्सिडी और ब्याज का 50 प्रतिशत या 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष (जो भी कम हो) की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
2. मैदानी क्षेत्रों के लिये पूंजी सब्सिडी 25 प्रतिशत या 7.50 लाख रुपये, जो भी कम हो, और ब्याज सब्सिडी ऋण चुकौती के पहले पाँच वर्षों के लिये ब्याज का 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, है।
3. इस योजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देते हुए आवास की गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाकर उत्तराखण्ड को अधिक आकर्षक गंतव्य बनाना है।

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति 2015 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन तथा अनुदान सहायता हेतु चिन्हित क्षेत्र का वर्गीकरण

श्रेणी–ए

- पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग व जनपद बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

श्रेणी–बी

- पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भूभाग।
- जनपद देहरादून के डोईवाला, विकास नगर, रायपुर, सहसपुर।

श्रेणी–सी

- डोईवाला, विकास नगर, रायपुर, सहसपुर विकासखण्ड के समुद्र तल से 650 मीटर से अधिक उचित क्षेत्र।
- जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तथा रामनगर विकासखण्ड।

श्रेणी–डी

- जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर का संपूर्ण क्षेत्र, जनपद नैनीताल तथा देहरादून का वह क्षेत्र जो कि श्रेणी बी और श्रेणी सी में सम्मिलित नहीं है।

उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन विकास में राज्य सरकार की भूमिका

उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में पहली बार आयुष, वेलनेस, कृषि, विरासत जैसे क्षेत्रों में पर्यटन के लिए गाँव चयनित किए गए हैं। इन गाँवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा होमस्टे की पहल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वहँ आने वाले पर्यटकों को रहने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। गाँव को पर्यटन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में मुनस्यारी के सरमोली गाँव को बेस्ट रूरल टूरिज्म का पुरस्कार मिला था। इस वर्ष श्रेष्ठ पर्यटन गाँवों की श्रेणी में जखोल (उत्तरकाशी) को साहसिक पर्यटन, सुप्पी (बागेश्वर) को कृषि पर्यटन और गुंजी व हर्शिल को वाइब्रेंट विलेज श्रेणी में केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया था।

"पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्रवार गाँव चयनित किए गए हैं और इन्हें इसी हिसाब से विकसित किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग समेत अन्य सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। प्रथम चरण में इस मुहिम में गाँव लिए गए हैं। धीरे–धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।"

– सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री

सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना में अगर कोई व्यक्ति होमस्टे बनाना भी चाहता है तो उसे 60,000 रूपये प्रति कमरे का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें कमरे के साथ–साथ शौचालय और अन्य सुविधा भी जुटानी होगी। जिनके पहले से कमरे हैं, उन्हें सरकार सुसज्जित करने के लिए 25,000 रुपये प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता न केवल होम स्टे योजना को प्रोत्साहित करती है, बल्कि पारंपरिक पहाड़ी शैली की इमारतों सहित स्थानीय स्थापत्य शैलियों को भी बढ़ावा देती है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन से जुड़े युवाओं को सरकार ने तोहफा दिया गया है। अब तक कई जगहों पर पर्यटकों को रूकने, खाने–पीने के लिए काफी सोचना और विचार करना पड़ता था। इतना ही नहीं कम आमदनी की वजह से इस फील्ड में कई युवा आने से कतराते भी थे, लेकिन अब उत्तराखण्ड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ स्थानीय लोगों को अनुदान देकर एक बड़ा फायदा देने की कोशिश की है। सरकार ने यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की है जो लोग ट्रैकिंग रूट से 2 किलोमीटर के दायरे में होमस्टे चला रहे हैं। उन लोगों को अगर सर्दी या गर्मी में पर्यटक नहीं भी मिलते हैं तो रोजाना उनके कमरे का 60 रूपये अनुदान सरकार देगी। इससे स्थानीय लोगों को तो फायदा होगा ही साथ–ही–साथ पर्यटकों को भी अच्छे और अधिक ऑप्शन ट्रैकिंग रूट पर आने वाले दिनों में मिल सकेंगे ।

उत्तराखण्ड पर्यटन की दृष्टि से चयनित उत्कृष्ट गाँव

सारणी संख्या : 1

क्रम संख्या	जिला	गाँव	क्षेत्र
1	पिथौरागढ़	मदकोट	वेलनेस
2	पिथौरागढ़	गुंजी	वाइब्रेंट विलेज
3	अल्मोड़ा	माट (कसार देवी)	वेलनेस
4	बागेश्वर	लिति	समुदाय आधारित कृषि व साहसिक
5	चंपावत	श्यामताल व प्रेमनगर	वेलनेस व कृषि पर्यटन
6	चमोली	घेस	कृषि व साहसिक
7	चमोली	माणा	वाइब्रेंट विलेज व हस्तशिल्प
8	नैनीताल	पियोरा	वेलनेस व हस्तशिल्प
9	नैनीताल–छोटी हल्द्वानी	जिम कार्बेट गाँव	विरासत
10	टिहरी	सौड़	समुदाय आधारित व साहसिक
11	पौड़ी	सिरसू	साहसिक
12	उत्तरकाशी	जखोल	कृषि व साहसिक
13	उत्तरकाशी	बगोरी	वाइब्रेंट विलेज
14	देहरादून	लाखामंडल	विरासत, अध्यात्म व वेलनेस
15	देहरादून	थानो	वेलनेस
16	रुद्रप्रयाग	घिमतोली	अध्यात्म व वेलनेस
17	रुद्रप्रयाग	सारी	वेलनेस व साहसिक

स्रोतः– उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास एवं निवारण पलायन आयोग से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आधारित।

व्याख्या

उपरोक्त सारणी संख्या एक में उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास की दृष्टि से चयनित जनपद गाँव और क्षेत्र को दर्शाया गया है, जिन्हें राज्य सरकार ने आयुष, वेलनेस, कृषि, विरासत क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए चयनित किया गया है। जिसमें पिथौरागढ़ के मदकोट, गुंजी गाँव को वैलनेस, वाइब्रेंट, विलेज के रूप में चयनित किया है। अल्मोड़ा के माट (कसार देवी) गाँव को वेलनेस के लिए, बागेश्वर के लिति गाँव को समुदाय आधारित कृषि व साहसिक, चंपावत के श्यामपुर व प्रेम नगर गाँव को वेलनेस व कृषि पर्यटन, चमोली के घेस, माणा, पियोरा गाँव को कृषि व साहसिक, वाइब्रेट विलेज, हस्तशिल्प, वैलनेस, नैनीताल में जिम कॉर्बेट पार्क गाँव को विरासत, टिहरी के सौड़ गाँव को समुदाय आधारित और साहसिक, पौडी के सिरसू गाँव को साहसिक, उत्तरकाशी के जखोल व बंगोरी गाँव को कृषि व साहसिक, वाइब्रेंट विलेज, देहरादून के लाखामंडल व थानो को विरासत, अध्यात्म व वेलनेस, रुद्रप्रयाग के सारी गाँव को वेलनेस व साहसिक क्षेत्र के रूप में चयनित किया है।

उत्तराखण्ड में होमस्टे की वर्तमान स्थिति

उत्तराखण्ड में होमस्टे योजना बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा साधन बन गया है। अतीत में उत्तराखण्ड गृह आवास होमस्टे नियमावली के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्र के साथ–साथ दूरस्थ पर्यटक क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु, स्थानीय आवासीय सुविधा बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और भवन स्वामियों को अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होमस्टे योजना राज्य सरकार में शुरू की गई है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण जनपदों में होमस्टे योजना से जुड़कर यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ–साथ ही पर्यटकों को उचित सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिससे उत्तराखण्ड की पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। उत्तराखण्ड में होमस्टे योजना की शुरुआत से पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक सुधार भी हुआ है। राज्य के पहाड़ी जनपदों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और गाँव से हो रहे पलालान को रोकने में भी होमस्टे योजना सफल सिद्ध हुई है। इस योजना के तहत देश–विदेश से पर्यटक आ रहे हैं जिससे स्थानीय व्यंजनों और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का आदान–प्रदान भी हो रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनेक पर्यटक स्थल हैं जो अपने नैसर्गिक सुंदरता के लिए और धार्मिक मान्यताओं के लिए सुप्रसिद्ध हैं। फलस्वरूप वहाँ पर्यटन का विकास नहीं हो पाया है, ऐसे स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यटन के विकास के ऐसे पर्यटक स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का पलायन भी रुकेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार होगा उनका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 18 गाँवों को चयनित किया है। इन गाँवों को आयुष, वेलनेस, कृषि, विरासत जैसे क्षेत्र में पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। इन गाँव में होमस्टे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखण्ड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। देष–विदेष से प्रतिवर्श उत्तराखण्ड के पर्यटक

स्थलों में सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। होमस्टे रोजगार के अवसर के रूप में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करता है। उत्तराखण्ड एक प्राकृतिक संपदा संपन्न राज्य है, यहाँ हरे–भरे पहाड़, बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, नदियाँ, घास के मैदान, जंगल आदिकाल से ही सभी का मन मोह लेते हैं। उत्तराखण्ड में साहसिक पर्यटन, तीर्थाटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं।

उत्तराखण्ड की पहचान स्वरोजगार का बड़ा जरिया पर्यटन ही है। इसे देखते हुए अब सरकार की दृष्टि उन गाँव की ओर है, जहाँ पर्यटक को रोजगार से जोड़कर ग्रामीण वासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर पलायन को रोका जा सके। उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना के तहत क्लस्टर आधारित पर्यटन गतिविधियां की जा रही है जिसमें मुख्यतः उद्यानों का विकास, ग्राम पंचायत की सीमा में सड़कों का सुधार एवं ट्रैकिंग मार्ग, गाँव में प्रकाश की व्यवस्था, तारबाड़ एवं कंपाउंड वॉल, सौर ऊर्जा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा सीवरेज मैनेजमेंट हेतु सुधार कार्य, साहसिक खेल तथा जल क्रीड़ाओं का आयोजन होगा। जिससे उत्तराखण्ड में पर्यटन का आवागमन बढ़ेगा और पर्यटकों के आवास के लिए निजी क्षेत्र में होमस्टे का विकास भी किया जाएगा।

संदर्भ

1. तिवारी, शिव प्रसाद, पर्यटन विकास और पर्यावरण, अल्मोड़ा बुक डिपो, माल रोड, अल्मोड़ा प्रथम संस्करणः 1998, 2005।
2. मैठाणी, प्रो. डी. डी, प्रसाद, डॉ० गायत्री, उत्तराखण्ड का भूगोल, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी रोड प्रयागराज, प्रथम संस्करण, 2010।
3. बंसल, डॉ.सुरेश चंद्र, पर्यटन भूगोल एवं यात्रा प्रबंधन, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, चतुर्थ नवोदित संस्करण, 2023–24।
4. बहुगुणा, डॉ० विजय, उत्तराखंड का जन इतिहास लोक संस्कृति एवं समाज, समय–साक्ष्य, 15 फालतू लाइन देहरादून, प्रथम संस्करण 2017, द्वित्तीय संस्करण 2019।
5. नेगी, डॉ. शरद सिंह, उपाध्यक्ष, "वक्तव्य" उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर द्वितीय अंतिम रिपोर्ट, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड पौड़ी, 2023।
6. Patwal, Anup Singh (2021), "Tourist Motivation and Satisfaction Factors: A Case Analysis of Homestays in Uttarakhand", School of Hospitality Management IMS UNISON University, Dehradun
7. https://www.euttaranchal.com/tourism/uttarakhand-homestay-scheme.php
8. https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-home-stay-uttarakhand-so-how-will-the-home-stay-work-like-this-not-getting-subsidy-23561428.html
9. https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/acts/hindi-Home-Stay-Niyamawali-2018-1.pdf
10. https://pauri.nic.in/tourism-department/
11. https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-village-tourism-in-uttarakhand-18-village-selected-23853078.html